

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक / /2026

संख्या-2/एल0-63/2024-

/स्वा०, डॉ० सच्चिदानन्द राय, चिकित्सा

पदाधिकारी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के निम्नांकित अवधियों को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-931(25), दिनांक-05.05.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 236 एवं 248 के आलोक में निम्नांकित रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

| | | | |
|--------|------------------------------------|---|--|
| i). | दिनांक-08.07.2016 से 10.07.2016 तक | - | कुल-03 (तीन) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में। |
| ii). | दिनांक-16.07.2016 को | - | कुल-01 (एक) दिन को उपार्जित अवकाश के रूप में। |
| iii). | दिनांक-17.07.2016 से 25.07.2016 तक | - | कुल-09 (नौ) दिनों को असाधारण अवकाश के रूप में। |
| iv). | दिनांक-05.09.2016 से 08.09.2016 तक | - | कुल-04 (चार) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में। |
| v). | दिनांक-25.11.2016 से 01.12.2016 तक | - | कुल-07 (सात) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में। |
| vi). | दिनांक-02.12.2016 से 31.12.2016 तक | - | कुल-30 (तीस) दिनों को असाधारण अवकाश के रूप में। |
| vii). | दिनांक-16.01.2017 को | - | कुल-01 (एक) दिन को उपार्जित अवकाश के रूप में। |
| viii). | दिनांक-17.01.2017 को | - | कुल-01 (एक) दिन को असाधारण अवकाश के रूप में। |

02. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल0-63/2024-

6012

पटना, दिनांक 19/3/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना / डॉ० सच्चिदानन्द राय, चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।